

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 17/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीए/राआनि)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै बृजबासी आर्ट प्रैस लि., A-80-81, सैक्टर-5, नोएडा, उत्तर प्रदेश और 4 अन्य.	फा. सं. DRI/HQ-CI/ 50D/Int-29/2018-CI दिनांक 22.03.2019.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, नोएडा दादरी रोड, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, नोएडा दादरी रोड, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश.
2.	मै रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, 9 ^{वां} तल, मेकर चेंबर्स IV, 222, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021.	डीआरआई फ़ा. सं. DRI/BZU/S-IV/Enq- 59/ Int-Nil/ 2018 दिनांक 15.03.2019 (SCN No. 17/2019).	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-v), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

			सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	
3.	मै मेहता इन्फोकोम, मेहता हाउस, प्लॉट सं. AF/3, कामा इंडस्ट्रियल इस्टेट, एचयूबी मॉल के निकट, ऑफ डबल्यू ई हाइवे, गोरगाओं (E), मुंबई-400063 और 4 अन्य.	फा. सं. DRI/MZU/CI/ Int-41/2016 दिनांक 27.03.2019	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (ग्रुप-VA).	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
4.	मै सिटी नेटवर्कस लिमिटेड, 1 ^{ला} तल, FC-9, फिल्म सिटी, सैक्टर-16A, नोएडा-201301	डीआरआई फा. सं. DRI/BZU/S-IV/Enq-5 (Int-Nil)/ 2018 दिनांक 24.07.2018 (SCN No. DRI/BZU/SCN/29/201 8 (Seizure Portion)	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगलकाबाद, नई दिल्ली.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली (तालिका के क्रम सं. 4 और 5 के लिए).
5.	मै सिटी नेटवर्कस लिमिटेड, 1 ^{ला} तल, FC-9, फिल्म सिटी, सैक्टर-16A, नोएडा-201301 और 2 अन्य.	डीआरआई फा. सं. DRI/BZU/S-IV/Enq-5 (Int-Nil)/2018 दिनांक 01.04.2019 (SCN No. DRI/BZU/SCN/19/201 9)	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (प्रशासन और एयरपोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगलकाबाद, नई दिल्ली. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-14/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-बंगलुरु और मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे
4. उप निदेशक (सी सेल), डीआरआई-मुख्यालय, नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे